[2008] 6 एस. सी. आर 358

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर वी.

बनाम

राम आधार

(2002 की सिविल अपील सं. 5691)

10 अप्रैल, 2008

(एच. के. सेमा और मार्कंडी काटजू, जे. जे.)

सेवा कानूनः आशुलिपिक की तदर्थ नियुक्ति-तीन महीने के लिए-निर्धारित अवधि के बाद जारी रहना-परीक्षा में असफल-प्रार्थी द्वारा रिट याचिका करने पर उच्च न्यायालय द्वारा नियमित नियुक्ति तक कार्य करने हेतु अनुमति देने-आदेशित किया गया कि तदर्थ नियुक्त व्यक्ति को पद ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं-उच्च् न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

यू. पी. राज्य बनाम कौशल किशोर, (1991) 1 एससीसी 691 पर भरोसा किया।

सेवा कानूनः विशेष कौशल की आवश्यकता वाले पदों पर नियुक्तिः के लिए ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए, किसी के द्वारा अभ्यर्थी हेतु की गयी शिफारिश पर अमल नहीं करना चाहिए। यदि अदालत के लिए असक्षम आशुलिपिक नियुक्त किया जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सही रूप

से दर्ज नहीं किए जा सकेंगे, जिससे परिणामस्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न होंगी-अधिकांश समय उन त्रुटियों को सही करने में खर्च होगा-इसलिए चयन समिति को ऐसे पद पर किसी व्यक्ति का चयन करने से पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5691/2002

उच्च न्यायालय के 14.8.2001 दिनांकित निर्णय और आदेश से इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) लखनऊ में न्यायिक न्यायालय एस. ए. नं. 185/2001

अपीलार्थियों के लिए - फुज़ैल खान, सहदेव सिंह, अनिल कुमार झा और रवि प्रकाश मेहरोत्रा।

उत्तरदाता के लिए - के. शारदा देवी।

आदेश

यह याचिका राज्य द्वारा दिनांक 14.08.2001 को खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है

पक्षकारों को सुना गया।

यहाँ प्रत्यर्थी को तीन महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। उक्त समय को दो बार बढ़ाया गया था और अंततः, प्रत्यर्थी भी परीक्षा में उपस्थित हुआ, परन्तु असफल रहा। प्रत्यर्थी ने एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका की, विद्वान

एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को तब तक जारी रखने की अनुमति दी गयी जब तक कि नियमित रूप से चयनित आशुलिपिक पद में शामिल नहीं हो जाता। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी इसकी पुष्टि की।

15.10.2001 पर नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय ने खंड पीठ और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों के आदेशों पर रोक लगा दी। अंतरिम आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी अब सेवा में नहीं है । अन्यथा भी एक तदर्थ नियुक्ति आशुलिपिक, जिसे तीन महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, जिसकी उक्त अवधि को आगे बढ़ाया भी गया था, उसे जनहित में निरंतर जारी नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह मूल परीक्षा में ही असफल रहा है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि कानून का कोई सिद्धांत नहीं है जो यह कहता हो कि अस्थायी क्षमता में नियुक्त व्यक्ति को पद पर बने रहने का अधिकार है। एक नियमित चयन तक बल्कि, कानूनी स्थिति विपरीत है, अर्थात्, यू. पी. राज्य बनाम कौशल किशोर (1991) 1 एस. सी. सी. 691 के अनुसार एक अस्थायी कर्मचारी को पद का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आधिकारिक रूप से उसे नियमित नियुक्ति तो क्या एक दिन के लिए भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है

इस एकमात्र आधार पर हम विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों के आदेशों को दरकिनार कर देते हैं। इस अपील की अनुमति है। कोई लागत का आदेश नहीं।

इस मामले से अलग होने से पहले हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि अक्सर विशेष कौशल के पदों पर चयन और नियुक्तियां की जाती है जैसे स्टेनोग्राफर जहां विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इस तरह के पदों पर एकमात्र मानदंड योग्यता होनी चाहिए। हालांकि, अक्सर इस तरह की नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सिफारिश के आधार पर की जाती हैं और ऐसे प्रत्यर्थी सामान्यतः असक्षम साबित होते हैं।

यदि न्यायालय के लिए एक असक्षम आशुलिपिक नियुक्त किया जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सही रूप से दर्ज नहीं किया जा सकेगा, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी, न्यायाधीश का अधिकतम समय उन समस्याओं का समाधान करने में ही व्यतीत होगा, अतः चयन समिति को ऐसे पद, जिन पर नियुक्ति हेतु विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है, उन पदों पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे आशुलिपिक का पद, जिस पर नियुक्ति का मापदण्ड केवल मात्र योग्यता ही होना चाहिए न कि कोई सिफारिश।

आर.पी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी किशन सांदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।